

प्ररूप सं. 27डथ

[धारा 206ग और नियम 31कक देखिए]

..... (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) ..... (वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही को आयकर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की तिमाही विवरण

1. (क) कर कटौती और संग्रहण खाता सं. (टैन)
- (ख) स्थायी लेखा सं. (पैन)   
[टिप्पण 1 देखिए]
- (ग) वित्तीय वर्ष .....
- (घ) क्या इस तिमाही से पहली कोई विवरणी फाइल की गई है (हां/नहीं) .....
- (ङ) यदि (घ) का उत्तर “हां” है तो मूल विवरणी का टोकन सं. ....
- (च) संग्रहकर्ता का प्रकार (टिप्पण 2 देखिए)

2. संग्रहकर्ता की विशिष्टियां :

(क) संग्रहकर्ता का नाम	
(ख) यदि केंद्रीय/राज्य सरकार नाम (टिप्पण 3 देखिए)	
पीएओ/टीओ/सीडीडीओ का एआईएन कोड	
(ग) टैन रजिस्ट्रीकरण सं.	
(घ) पता	
फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	
टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	



5. संदत्त रकम और उस पर कर के संग्रहण के ब्यौरे (उपाबंध देखिए)

**सत्यापन**

में, ....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान : .....

स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

तारीख : .....

स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....

**टिप्पण :**

1. गैर सरकारी संग्रहकर्ता के लिए पैन का उल्कथित किया जाना आवश्यक है। सरकारी संग्रहकर्ता की दशा में "पैन आवश्यक नहीं" उल्लिखित होगा।
2. कृपया सरकारी संग्रहकर्ता या गैर संग्रहकर्ता उपदर्शित करें।
3. केंद्रीय सरकार की दशा में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम उल्लिखित करें/राज्य सरकार की दशा में, कृपया राज्य का नाम उल्लिखित करें।
4. अनुकल्पी टेलीफोन नं. और अनुकल्पी ई-मेल में, कृपया ऐसे व्यक्ति का टेलीफोन नं. और ई-मेल दिया जाए, जिससे संग्रहकर्ता और कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की अनुपस्थिति में संपर्क किया जा सके।
5. धारा 234ड के अधीन विलंब से स्रोत पर कर संग्रहण का विवरण फाइल करते समय संदत्त फीस को, 'फीस' के पृथक् स्तंभ में उल्लिखित किया जाए (स्तंभ 656)।
6. स्तंभ 658 में, सरकारी डीडीओ, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा विप्रेषित रकम को उल्लिखित करेंगे। अन्य संग्रहकर्ता चालान द्वारा जमा की गई सही रकम को लिखेंगे।
7. स्तंभ 659 में, सरकारी संग्रहकर्ता "ख" लिखेंगे जहां स्रोत पर कर संग्रहण, बही समायोजन द्वारा केंद्रीय सरकार के जमा में विप्रेषित की जाती है। अन्य संग्रहकर्ता "ग" लिखेंगे।
8. चालान/अंतरण वाउचर (सीआईएन/बीआईएन) विशिष्टियां, अर्थात् 660, 661, 662 वही होंगे जो कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध हैं।
9. स्तंभ 663 में, चालान पर यथा चिन्हित लघु शीर्ष उल्लिखित करें।



**सत्यापन**

मैं, ....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान : .....

स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

तारीख : .....

स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....

**टिप्पण :**

1. “क” लिखें, यदि धारा 206ग(9) के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे “कम संग्रहण” किया गया है। “ख” लिखें, यदि धारा 206ग(1क) में घोषित “कोई संग्रहण नहीं” किया गया है।
2. नीचे उपदर्शित संग्रहण कोड लिखिए :

धारा	संग्रहण की प्रकृति	संग्रहण कोड	
206ग	मानव उपभोग के लिए अल्कोहल लिकर से स्रोत पर संग्रहण	6ग	क
206ग	वन पट्टे के अधीन उपलब्ध टिम्बर से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ख
206ग	वन पट्टे से भिन्न किसी अन्य प्रकार से उपलब्ध टिम्बर से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ग
206ग	किसी अन्य वन उत्पाद (तेंदु पत्ता न हो) से स्रोत पर संग्रहण	6ग	घ
206ग	स्क्रेप से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ङ
206ग	पार्किंग नीलामी से संबंधित सविदाकारों या पट्टे से स्रोत पर संग्रहण	6ग	च
206ग	टोल प्लाजा से संबंधित सविदाकारों या पट्टे से स्रोत पर संग्रहण	6ग	छ
206ग	खान या खदान से संबंधित सविदाकारों या पट्टे से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ज
206ग	तेंदु पत्ते से स्रोत पर संग्रहण	6ग	झ
206ग	खनिज, कोयला हो या लिग्नाइट हो या लौह अयस्क हो, के विक्रय से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ञ
206ग	बुलियन और जवाहरात के नकद विक्रय से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ट”;